



जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गोड्डा।

सी0सी0ए0 केश नं0-01/2023-24

सरकार

बनाम्

चुन्ना मंडल उर्फ निशांत भारती

—: आदेश :—

दिनांक 30/03/24

विज्ञा सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। विपक्षी की ओर से दाखिल कारण-पृच्छा एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के पत्रांक-307/डी0सी0बी0 दिनांक-26.06.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने गोड्डा नगर थाना के अपराधकर्मी चुन्ना मंडल उर्फ निशांत भारती, उम्र-34 वर्ष, पे0-शिकन्दर मंडल, सा0-गाँधीनगर गोढ़ी, थाना-गोड्डा नगर, जिला-गोड्डा को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा-2 (डी) के अन्तर्गत परिभाषित असामाजिक तत्व है, के विरुद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा-3(i)(ए)(बी)(i)(ii) के अन्तर्गत थाना हाजिरी करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि अपराधकर्मी चुन्ना मंडल उर्फ निशांत भारती उम्र करीब 34 वर्ष, पे0-सिकन्दर मंडल, सा0-गाँधीनगर गोढ़ी, थाना-गोड्डा नगर, जिला-गोड्डा एक असामाजिक तत्व है, जिसके द्वारा लम्बे अरसे से गोड्डा नगर थाना क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसे गोड्डा नगर थाना काण्ड सं0-263/2022 दिनांक-30.09.2022 धारा 20बी0/21बी0/22बी0 एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट में गिरफ्तार कर माननीय न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जो वर्तमान में माननीय न्यायालय, गोड्डा से जमानत पर मुक्त है।

आगे प्रतिवेदन है कि यह एक परिभाषित असामाजिक तत्व है, जिसका कार्य समाज में अराजकता फैलाना, ग्रामीणों को भयादोहन करने हेतु लूट/डकैती/चोरी/गृहभेदन/छीनतई एवं मादक द्रव्य का अवैध व्यापार करने जैसे कई कांड अंकित किये गये है, जिसका उल्लेख अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोड्डा के प्रस्ताव में किया गया है। इसके विरुद्ध गोड्डा नगर थानान्तर्गत काण्ड के अलावे असामाजिक गतिविधि के लिए सन्हा भी दर्ज किया गया है। इसके बाहर रहने से लोक व्यवस्था पूरी तरह से भंग होने की

संभावना बनी हुई है। इसलिए अपराधकर्मी चुन्ना मंडल उर्फ निशांत भारती उम्र करीब 34 वर्ष, पिता-सिकन्दर मंडल, सा0-गांधीनगर गोढ़ी, थाना-गोड़डा नगर, जिला-गोड़डा को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा- 3(i)(ए)(बी)(i)(ii) के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए थाना हाजिरी कर निगरानी रखना अति आवश्यक है। इसके बाहर रहने से गोड़डा नगर थाना क्षेत्र के आस-पास के गाँव एवं थाना क्षेत्र के ग्रामीणों में काफी भय का माहौल बना हुआ है, जिससे लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतएव आम लोगों पर नयांक्रांत खौप, दहशत देखने को मिल रहा है। इसका पुष्टि गोड़डा नगर थाना में दर्ज सन्हा से प्रतीत होता है, जो इनके अस्तानाजिक तत्व होने को प्रमाणित करता है। इनके विरुद्ध दर्ज किये गये आपराधिक इतिहास निम्नांकित है, जो वर्तमान में माननीय न्यायालय, गोड़डा में विचाराधीन है तथा सभी काण्डों में आरोप पत्र समर्पित किये जा चुके हैं, जिसकी विस्तृत विवरणी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोड़डा के द्वारा समर्पित प्रस्ताव में अंकित है।

आपराधिक इतिहास :-

1. गोड़डा नगर थाना काण्ड सं0-263/2022 दिनांक-30.09.2022 धारा 20बी/21बी/22बी एन0डी0पी0एस0 एक्ट
2. गोड़डा नगर थाना काण्ड सं0-54/2021 दिनांक-02.02.2021 धारा-364ए0/34 भा0द0वि0

वर्तमान में उक्त के विरुद्ध दर्ज सन्हा :-

गोड़डा नगर थाना दैनिकी सन्हा संख्या-35/23 दिनांक-08.06.2023 समय 23.00 बजे

आगे प्रतिवेदन में उल्लेख है कि पु0नि0 सह थाना प्रभारी उपेन्द्र कुमार महतो सशस्त्र बल के साथ आसूचना संकलन एवं क्षेत्र भ्रमण कर थाना वापस आया तथा दैनिकी का भार ग्रहण किया। उल्लेखनीय है कि क्षेत्र भ्रमण के क्रम में सूचना मिली कि कुख्यात अपराधकर्मी चुन्ना मंडल उर्फ निशांत भारती उम्र 34 वर्ष, पिता-सिकन्दर मंडल, सा0-गांधीनगर, गोढ़ी, थाना-गोड़डा नगर, जिला-गोड़डा वर्तमान में जमानत पर मुक्त है। अपराधकर्मी चुन्ना मंडल जेल से निकलने के बाद पुनः अपने गिरोह को संगठित कर किसी बड़े घटना को अंजाम देने के फिराक में है। इसके जेल से बाहर रहने के कारण आम जनता में काफी भय व्याप्त है। वह जिधर जाता है, लोग डर से भागने लगते हैं, यहाँ तक की डर से कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध पुलिस में शिकायत नहीं कर रहे हैं। इनका जेल से बाहर रहने

से लोक शांति कायम रखने में काफी कठिनाई हो रही है तथा इनके द्वारा कभी भी शांति भंग की जा सकती है। जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। दर्ज काण्डों एवं सनहा से यह स्पष्ट है कि चुन्ना मंडल उर्फ निशांत भारती उम्र करीब 34 वर्ष पे0-सिकन्दर मंडल सा0-गांधीनगर गोढ़ी, थाना-गोड्डा नगर, जिला-गोड्डा झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा-2 (डी) में परिभाषित असमाजिक तत्व है। जिनका मुख्य कार्य समाज में अराजकता फैलाना, ग्रामीणों का भयादोहन करना, रंगदारी वसूलना, अपराधिक घटनाओं को अंजाम देना इत्यादि है। यह अपराधी जेल से जमानत पर छुटकर बाहर आया है। इनके जेल से छुटने पर गोड्डा नगर थाना एवं सीमावर्ती थाना क्षेत्रों के लोगों में भय व्याप्त है तथा इनके घर पर अक्सर संदिग्ध लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिससे आमजनों में भय का माहौल बन गया है। इनके भय को आमजनों में कम करने के लिए इनकी निगरानी रखना आवश्यक है। जिसके लिए इन्हे थाना पर हाजिरी कराकर निगरानी रखने पर आमजनों में दहशत का माहौल नियंत्रण रहेगा। उक्त अपराधकर्मी के विरुद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई करने से आम जनता के मनोबल में वृद्धि होगी तथा दहशत का माहौल नियंत्रित होगा जो गोड्डा नगर थाना एवं सीमावर्ती थाना क्षेत्रों में लोक शांति व्यवस्था बनाये रखने में सहायक सिद्ध होगा। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने उक्त असामाजिक तत्व चुन्ना मंडल उर्फ निशांत भारती उम्र 34 वर्ष, पे0-सिकन्दर मंडल, सा0-गांधीनगर गोढ़ी, थाना-गोड्डा नगर, जिला-गोड्डा को लोक हित में निगरानी रखने हेतु को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा-3(i)(ए)(बी)(i) (ii) के अन्तर्गत थाना हाजिरी करने की अनुशंसा की है।

विपक्षी को कारण-पृच्छा दाखिल करने के लिए नोटिश निर्गत किया गया है। विपक्षी की ओर से कारण-पृच्छा दाखिल किया गया है। विपक्षी का कथन है कि मोहल्ला के राजनीतिक व्यक्तियों के द्वारा विगत चार वर्षों से पूर्वाग्रहित होकर झूठा साजिश लगाकर झूठी मुकदमा में फसाया जा रहा है। जबकि सूचक द्वारा विपक्षी को नामजद अभियुक्त नहीं बनाया गया है। उनका आगे कथन है कि विपक्षी का किसी से किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। विपक्षी मजदुरी करके परिवार का पालन पोषण करता है। थाना में हाजरी देने से परिवार एवं बच्चे को भुखे मरने की समस्या आ सकती है। इसलिए विपक्षी को थाना हाजरी से मुक्त करने की कृपा की जाय।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकनोपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि चुन्ना मंडल उर्फ निशांत भारती, उम्र-34 वर्ष, पे0-शिकन्दर मंडल, सा0-गाँधीनगर गोढ़ी, थाना-गोड़डा नगर, जिला-गोड़डा एक अपराधकर्मी है। विपक्षी के विरुद्ध गोड़डा नगर थाना काण्ड सं0-263/2022, दिनांक-30.09.2022 धारा-20बी/21बी/22बी एन0डी0पी0एस0 एक्ट एवं गोड़डा नगर थाना काण्ड सं0-54/2021, दिनांक-02.02.2021 धारा 384ए0/34 भा0द0वि0 तथा गोड़डा नगर थाना दैनिकी सन्हा सं0-35/23, दिनांक-08.06.2023 सन्हा दर्ज है। विपक्षी के जेल से बाहर रहने से लोक व्यवस्था प्रभावित हो सकते हैं एवं इनके द्वारा शांति भंग भी की जा सकती है। चूँकि विपक्षी की ओर से दाखिल कारण-पृच्छा संतोषप्रद नहीं है, जिसे खारिज किया जाता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विचारोपरांत पुलिस अधीक्षक, गोड़डा के अनुशंसा के आलोक में पूर्णरूपेण संतुष्ट होकर झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002(1981) की धारा-3(3)(बी)(i) के प्रावधानों के तहत चुन्ना मंडल उर्फ निशांत भारती, उम्र-34 वर्ष, पे0-शिकन्दर मंडल, सा0-गाँधीनगर गोढ़ी, थाना-गोड़डा नगर, जिला-गोड़डा को आदेश दिया जाता है कि वे माह जुन 2024 तक प्रत्येक दिन लगातार अपने दैनिक गतिविधि का सूचना एवं अपनी उपस्थिति इस आदेश में वर्णित, जिसका विवरण निम्नांकित है :-

दैनिक गतिविधि एवं उपस्थिति दर्ज करने का समय

सुबह - 07 बजे से 09 बजे के बीच

शाम - 07 बजे से 08 बजे के बीच

दोनों समय में से किसी एक समय प्रत्येक दिन श्री दिनेश कुमार महली, थाना प्रभारी, गोड़डा नगर, मो0 नं0-9431134781 के समक्ष दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। थाना प्रभारी, गोड़डा नगर को आदेश दिया जाता है कि वे चुन्ना मंडल उर्फ निशांत भारती का प्रत्येक दिन का गतिविधि एवं उपस्थिति लगातार माह जून 2024 तक दर्ज करेंगे एवं इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक, गोड़डा को समर्पित करेंगे।

आदेश का अनुपालन हेतु आदेश की प्रतिलिपि विपक्षी एवं थाना प्रभारी, गोड़डा नगर को देंगे तथा इसकी प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, गोड़डा को भी निर्गत करेंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

जिला दण्डाधिकारी,
गोड़डा

जिला दण्डाधिकारी,
गोड़डा

जी०वी० सं०
63 एवं
5/4/24
64
5/4/24
निर्गत।